



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया-277001

पारिश्रमिक देयक प्रपत्र

परीक्षा वर्ष 20.....

प्राशिनक / परिमार्जक / परीक्षक द्वारा पूरित किया जाय

नाम

पता

PAN* Telephone/Mobile No.

Bank Name*

A/c N.* IFSC*

* PAN Card तथा Bank Passbook / Cancelled Cheque की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

| 1. प्रश्नपत्र बनाना, परिमार्जन, सारणीयन, परितुलन आदि | | 2. मूल्यांकन (उत्तर पुस्तिका, प्रायोगिक, मौखिक, शोध आदि) | | सारांश | | |
|--|-----------------|--|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| क्र. | विषय/प्रश्नपत्र | धनराशि | विषय/प्रश्नपत्र | धनराशि | विवरण | धनराशि |
| 1. | | | | | 1. प्रश्नपत्र पारिश्रमिक | |
| 2. | | | | | 2. मूल्यांकन पारिश्रमिक | |
| 3. | | | | | कुल पारिश्रमिक | |
| 4. | | | | | 1. डाक व्यय | |
| 5. | | | | | 2. स्थानीय मार्ग व्यय | |
| | योग (1) | | योग (2) | | कुल योग | |

धनराशि (शब्दों में) ₹.....

| | | | |
|------------|--|--|-----------------------------------|
| रसीदी टिकट | भुगतान प्राप्त किया | समन्वयक / परीक्षा नियन्त्रक / कुलसचिव द्वारा अग्रसारण | |
| | हस्ताक्षर (प्राशिनक/परिमार्जक/परीक्षक) | सत्यापित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा कार्य इनके द्वारा सम्पन्न किया गया है और यह इनका प्रथम देयक है। जाँच किया और सही पाया। | |
| | | मूल्यांकन केन्द्र/कार्यालय सहायक | समन्वयक/परीक्षा नियन्त्रक/कुलसचिव |

वित्त विभाग के प्रयोगार्थ

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1. पारिश्रमिक | | क.) अध्यापक कल्याण कोष | |
| 2. डाक व्यय | | ख.) कर्मचारी कल्याण कोष | |
| 3. स्थानीय मार्ग व्यय | | ग.) आयकर | |
| 4. देयक की सकल धनराशि (1+2+3) | | 5. कुल कटौतियाँ (क+ख+ग) | |

6. शुद्ध देय धनराशि (4-5)

धनराशि ₹..... भुगतान किया जाय।

कार्यालय सहायक

लेखा परीक्षक

लेखाकार

अधीक्षक

वित्त अधिकारी

पारिश्रमिक की दरें

(शासनादेश संख्या 306/सत्तर-1-2010-15(32)/81, दिनांक 29.03.2011 के अनुसार)

प्राशिनक कार्य हेतु

| | | |
|----------------|----------|------------------|
| 1. स्नातकोत्तर | ₹ 900.00 | प्रति प्रश्नपत्र |
| 2. स्नातक | ₹ 600.00 | प्रति प्रश्नपत्र |

मूल्यांकन कार्य हेतु

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 1. उत्तर पुस्तिका (स्नातकोत्तर) | ₹ 18.00 | प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम ₹ 150.00) |
| 2. उत्तर पुस्तिका (स्नातक / बी0एड0) | ₹ 15.00 | प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम ₹ 150.00) |
| 3. प्रायोगिक (स्नातकोत्तर) | ₹ 18.00 | प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 600.00) |
| 4. प्रायोगिक (स्नातक / बी0एड0) | ₹ 12.00 | प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 450.00) |
| 5. मौखिकी (स्नातकोत्तर) | ₹ 18.00 | प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 150.00) |
| 6. मौखिकी (स्नातक) | ₹ 12.00 | प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 150.00) |
| 7. शोध प्रबन्ध (पी-एच0डी0) | ₹ 750.00 | प्रति शोध प्रबन्ध |
| 8. शोध प्रबंध (डी0लिट्0) | ₹ 1050.00 | प्रति शोध प्रबन्ध |
| 9. शोध मौखिकी (पी-एच0डी0) | ₹ 600.00 | प्रति शोध मौखिकी |
| 10. शोध मौखिकी (डी0 लिट्0) | ₹ 750.00 | प्रति शोध मौखिकी |
| 11. लघु शोध मौखिकी | ₹ 60.00 | प्रति शोध मौखिकी |

अन्य कार्य हेतु

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------|
| 1. उपाधि लेखन | ₹ 1.00 | प्रति उपाधि |
| 2. उपाधि मिलान | ₹ 0.75 | प्रति उपाधि |
| 3. अंकपत्र लेखन, मिलान व प्रेषण | ₹ 2.00 | प्रति अंकपत्र |
| 4. सारणीयन (टेबुलेशन) | ₹ 75.00 | प्रति सैकड़ा |
| 5. परितुलन (कोलेशन) | ₹ 30.00 | प्रति सैकड़ा |

परीक्षा केन्द्र हेतु

| | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| 1. केन्द्राध्यक्ष | ₹ 105.00 | प्रति पाली |
| 2. सहायक केन्द्राध्यक्ष | ₹ 100.00 | प्रति पाली |
| 3. केन्द्र व्यय | ₹ 8.00 | प्रति छात्र |



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

यात्रा भत्ता देयक

बजट शीर्षक.....
खाउचर सं०.....

१. नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....
२. पद और पता.....
३. स्थायी खाता संख्या (PAN).....
४. मूल वेतन..... ग्रेड पे० (Grade Pay).....
५. यात्रा का उद्देश्य.....
६. विश्वविद्यालय कार्य की तिथि.....

| यात्रा विवरण | | | | | | यात्रा का स्वरूप रेल या सड़क का मार्ग तथा श्रेणी जिसमें यात्रा की गई। | वास्तविक रेल भाड़ा | | अनुषांगिक व्यय | | सड़क यात्रा व्यय | | उठरने का भत्ता | | कुल धनराशि |
|--------------|------|-----|--------|------|-----|---|--------------------|----------|----------------|----------|------------------|-----|----------------|----|------------|
| प्रस्थान | | | आगमन | | | | घनराशि | किलोमीटर | घनराशि | किलोमीटर | घनराशि | दिन | घनराशि | | |
| स्टेशन | तिथि | समय | स्टेशन | तिथि | समय | | | | | | | | | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट :- यात्रा देयक प्रपत्र स्वयं यात्राकर्ता द्वारा भरा जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पावना पत्र में जिस श्रेणी के यात्री की मांग की गई है मैंने उसी श्रेणी में वास्तव में यात्रा की है, पावना-पत्र में जिस यात्रा का विवरण दिया है वह लाभ का साधन नहीं है और उसके लिए भाड़े में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हुई थी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा सबसे कम दूरी वाले मार्ग से की गई है एवं प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है।

ए०सी० द्वितीय श्रेणी में यात्रा के यदि अधिकारी हैं तो टिकट की छायाप्रति संलग्न करने पर ही भुगतान संभव होगा। अन्यथा नियमानुसार यात्रा का भुगतान किया जाएगा।

मैंने इस यात्रा देयक के मद में रू०..... प्राप्त किया।

रू० १.००
का रसीदी
टिकट

| | |
|--|--|
| प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने दिनांक.....की बैठक में भाग लिया/परीक्षा कार्य किया और यह उनका प्रथम देयक है। परीक्षक नियंत्रक सहायक/उप कुलसचिव | रू०.....भुगतान किया जाय। लेखाकार वित्त अधिकारी |
| पूर्ण लेखा परीक्षण किया। मात्रा रू०.....के भुगतान/समायोजन को संस्तुति की जाती है। | चेक सं०.....दिनांक.....द्वारा रू०.....का भुगतान किया गया। यात्रिका पावना भत्ता पत्रिका में अंकित किया। पृष्ठ.....क्रम सं०.....दिनांक.....। |
| अ०/बाह्य लेखा परीक्षक अधीक्षक | लेखा सहायक लेखाकार |

(२)

यात्रिक भत्ते के नियम

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्य परिषद् एवं अन्य समितियों के सदस्यों, चयन समितियों के विशेषज्ञों, प्राशिनकों, अनुसूचि, कर्त्ताओं एवं सारणीयकों आदि को राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

दैनिक भत्ता

| क्र० | मूल वेतन | प्रथम श्रेणी कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद | द्वितीय श्रेणी मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद | तृतीय श्रेणी साधारण दर (स्तम्भ-३ तथा ४ में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए) | अनुषांगिक व्यय |
|------|---|--|--|--|---------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| 1. | रू. 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान | 465 | 375 | 300 | 35 पैसे प्रति किमी. |
| 2. | रू. 7600, 6600 तथा रू. 5400 | 420 | 330 | 270 | 35 पैसे प्रति किमी. |
| 3. | रू. 4800 व 4600 | 360 | 285 | 240 | 25 पैसे प्रति किमी. |
| 4. | रू. 4200 तथा रू. 2800 | 300 | 240 | 195 | 25 पैसे प्रति किमी. |
| 5. | रू. 2800 से कम | 195 | 150 | 120 | 15 पैसे प्रति किमी. |

सड़क भत्ता :-

(1) मोटर कार, जीप, कार, टैक्सी से की गई सड़क यात्राओं के लिए-

| क्र० | विवरण | पेट्रोल चालित वाहन | डीजल चालित वाहन |
|------|--|--------------------|-----------------|
| क | प्रथम 500 किमी. तक तय की गई दूरी | रू. 10.00 | रू. 7.50 |
| ख | 500 किमी. से अधिक परन्तु 1200 किमी. तक तय की गयी दूरी | रू. 07.00 | रू. 5.50 |

कार, टैक्सी, जीप आदि से यात्रा करने के लिए कुलपति/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

(2) स्कूटर, मोटर साइकिल आदि से यात्रा रू. 5.00 प्रति किमी. इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रू. 1,000.00 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

सड़क भत्ता:- यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच तय की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिए समस्त सरकारी सेवकों को रू. 10.00 प्रति किमी. की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा।

इस प्रकार जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध जनपदों से जिलाधिकारी कार्यालय से रेलवे स्टेशन की दूरी निम्नवत है-

| क्र.सं. | जनपद का नाम | रेलवे स्टेशन से दूरी |
|---------|------------------------|----------------------|
| 1. | बलिया | 1.5 किमी. |
| 2. | गाजीपुर | 1.3 किमी. |
| 3. | जौनपुर | 3.5 किमी. |
| 4. | मिर्जापुर | 3.0 किमी. |
| 5. | वाराणसी | 2.5 किमी. |
| 6. | आजमगढ़ | 3.0 किमी. |
| 7. | चन्दौली | 3.0 किमी. |
| 8. | सोनभद्र | 3.0 किमी. |
| 9. | संत रविदास नगर (भदोही) | |